

भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चर्चाएँ

यह एडिटरियल 07/02/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Union government's reins on financial transfers to States" लेख पर आधारित है। इसमें पड़ताल की गई है कि किस प्रकार केंद्र सरकार के कदम, जो राज्यों के लिये कुल वित्तीय हस्तांतरण को कम करते हैं, देश में राजकोषीय-सह-सहकारी संघवाद को कमजोर कर रहे हैं।

प्रलमिस के लिये:

[वित्त आयोग](#), [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#), [GST परिषद](#), [एकीकृत जीएसटी](#), [ऊर्ध्वाधर और कर्षतजि हस्तांतरण](#), [इनपुट टैक्स क्रेडिट](#), [अनुच्छेद 275](#), [GST मुआवजा](#)।

मेन्स के लिये:

उन उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से भारत अपने वित्तीय संघवाद को मज़बूत कर सकता है।

14वें [वित्त आयोग \(FC\)](#) की अनुशंसा अवधि (2015-16) की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी कर रही है। यह इस प्रसंग में विशेष रूप से अजीब है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है, जो कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से स्पष्ट रूप से 10% अंक वृद्धि को प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जिन्हें [केंद्रशासित प्रदेशों](#) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है) को कथित जाने वाले हस्तांतरण को छोड़कर, 15वें वित्त आयोग ने 41% की इस अनुशंसा को बरकरार रखा है। यदि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिससे को भी शामिल किया जाए तो यह 42% होगा। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी की है बल्कि अपने विकासधीन व्यय को बढ़ाने के लिये अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि की है।

राजकोषीय संघवाद:

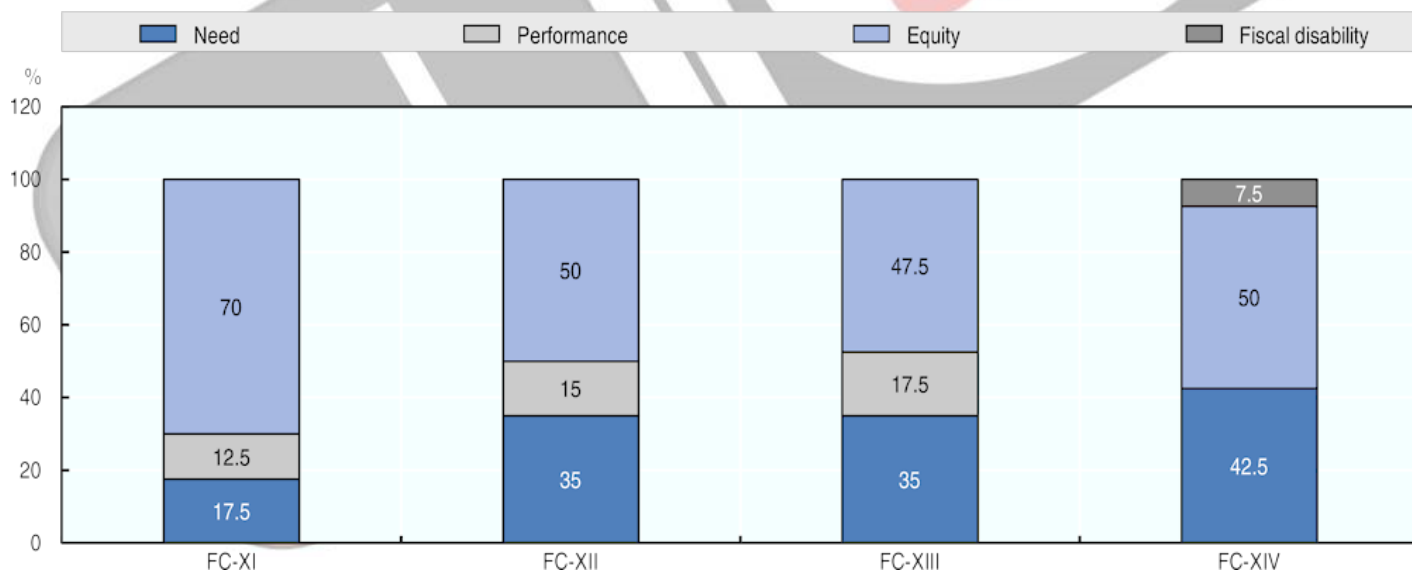
- [राजकोषीय संघवाद \(Fiscal federalism\)](#) शब्द यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है।
- इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनके बीच कैसे साझा किया जाना चाहिये और दक्षता एवं समानता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान किस प्रकार आवंटित किया जाना चाहिये।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में विभिन्न उपबंध:

- **संविधान का भाग XII:** भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और उधार लेने की शक्ति से संबंधित वित्तीय उपबंध किये हैं। इनके साथ ही राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में भी उपबंध किये गए हैं। [अनुच्छेद 268 से 293](#) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के उपबंधों से संबंधित हैं।
 - [अनुच्छेद 275 के तहत उपबंधित सहायता अनुदान](#) प्रणाली में विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का विकासधीन हस्तांतरण शामिल है।
 - वित्त आयोग [अनुच्छेद 280](#) के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
 - वित्त आयोग संविधान के [अनुच्छेद 280\(3\)](#) के तहत राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा केंद्र के कहने पर 'सुदृढ़ वित्त के हित में' किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
- **संविधान की सातवीं अनुसूची:** संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर अधिपण की शक्तियों को नमिलखित प्रकार से विभाजित करता है:
 - संसद को [संघ सूची](#) में शामिल विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है
 - राज्य विधानमंडल के पास [राज्य सूची](#) में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है,
 - [समवर्ती सूची](#) में उल्लिखित विषयों पर दोनों ही कर लगा सकते हैं, जबकि किराधान की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है।

केंद्र सरकार के कनि कदमों से राज्यों को कुल वित्तीय हस्तांतरण में कमी आई है?

- **राजकोषीय शक्तियों का बढ़ता केंद्रीकरण :**
 - समय के साथ, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले गैर-साझा करने योग्य राजस्व (non-shareable revenue), जैसे अधभार एवं उपकरों (surcharges and cesses) का अनुपात बढ़ गया है।
 - इसके परिणामस्वरूप, राज्य वृहत राजकोषीय स्वायत्तता की और केंद्र द्वारा संग्रहति सभी करों में बड़ी हस्तिसेदारी की वकालत कर रहे हैं।
- **राज्य कर स्वायत्तता का कषरण:**
 - राज्यों की अपने राजस्व स्रोतों पर कर दरें निर्धारित करने की क्षमता व्यापक रूप से कम हो गई है। वस्तुओं के अंतर-राज्य व्यापार के लिये **मूल्यवर्द्धति कर (value-added tax- VAT)** के कार्यान्वयन के बाद यह कषरण हुआ।
 - परिणामस्वरूप, राज्यों को कर नीतियों और राजस्व सृजन रणनीतियों के निर्धारण में स्वायत्तता की हानि का अनुभव हुआ है।
- **राज्य व्यय संबंधी लचीलेपन में बाधाएँ:**
 - सशस्त्र और आबंध अनुदानों की बढ़ती परमुखा के कारण राज्यों को अपने व्यय लचीलेपन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - ये अनुदान, जो **राज्य सूची** में सूचीबद्ध वस्तुओं को लक्षित करते हैं, उनकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने में राज्यों की वित्त शक्त को सीमित करते हैं।
- **राज्य भिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए समान राजकोषीय लक्ष्य:**
 - **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम, 2003** से उत्पन्न चुनौतियाँ सभी राज्यों पर समान राजकोषीय लक्ष्य (Uniform Fiscal Targets) लागू कर स्थितियों और खराब कर देती हैं।
 - ये लक्ष्य अलग-अलग राज्यों की विविध राजकोषीय आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं, जिससे अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन:**
 - **101वाँ संविधान संशोधन**, जो संघ और राज्यों को अप्रत्यक्ष कराधान की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है, वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना के बाद से राजकोषीय दृष्टिकोण से सबसे दूरगामी परिवर्तन है।
 - उस राज्य में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि उस राज्य में जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है, संघवाद की ऊर्ध्वाधर एवं कषैतजि दोनों गतिशीलता को बदल देता है।
 - कर का बोझ अमीर और वनिरिमाता राज्यों से उपभोक्ता राज्यों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे कषैतजि असंतुलन पैदा हो गया है।
 - उदाहरण के लिये, **एकीकृत जीएसटी (Integrated GST)**, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, गंतव्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्पत्ति के सिद्धांत से गंतव्य के सिद्धांत की ओर यह कदम राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को फरि से स्थापित कर रहा है।



//

सभी केंद्रीय करों में राज्यों की हस्तिसेदारी के वितरण के लिये मानदंड (11वें से 14वें वित्त आयोग के बीच)

राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण का वर्तमान परदृश्य क्या है?

- **सकल कर राजस्व में घटती हस्तिसेदारी:**

- यद्यपि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी क्रमशः 42% और 41% करने की अनुशंसा की, लेकिन सकल कर राजस्व की हसिसेदारी वर्ष 2015-16 में केवल 35% और वर्ष 2023-24 में 30% ही रहा (बजट आकलन के अनुसार)।
- जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व वर्ष 2015-16 में 14.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी 5.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए ही हुई।

■ राज्यों को सहायता अनुदान में कमी:

- राज्यों को सहायता अनुदान वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में सांघिक वित्तीय हस्तांतरण की संयुक्त हसिसेदारी 48.2% से घटकर 35.32% हो गई।

■ उपकर और अधभार श्रेणियों में बढ़ता कर संग्रह:

- इस अवधि के दौरान सकल राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी घटने का एक कारण यह है कि उपकर एवं अधभार के तहत राजस्व संग्रह, केंद्रशासित प्रदेशों से राजस्व संग्रह और कर प्रशासन व्यय में कटौती के बाद उन्हें शुद्ध कर राजस्व प्राप्त हुआ।
 - इन तीन कारकों में उपकर एवं अधभार के माध्यम से राजस्व संग्रह सबसे अधिक है और इसकी वृद्धि हो रही है।
- इस गणना में जीएसटी उपकर शामिल नहीं है जो जून 2022 तक जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये एकत्र किया जाता है।

■ वित्तीय केंद्रीकरण संबंधी चर्चाएँ:

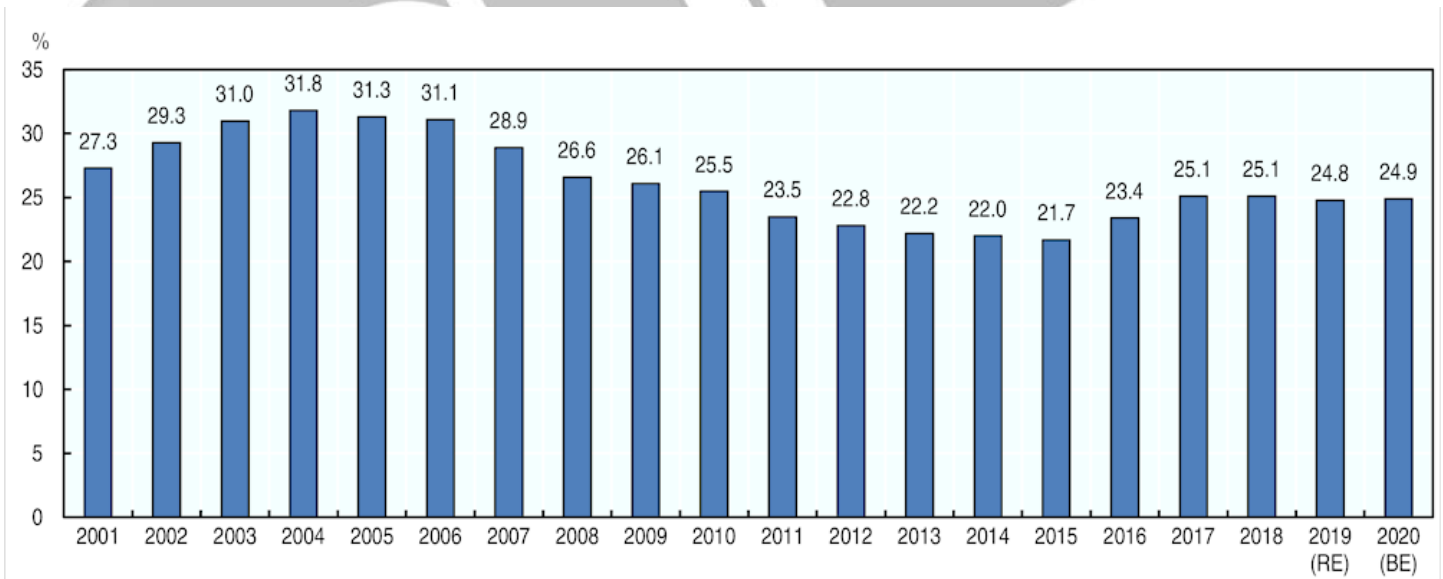
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण के दो अन्य मार्ग भी हैं, यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ (CS)।
 - केंद्र सरकार CSS के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है जहाँ केंद्र सरकार आंशिक धन मुहैया कराती है, जबकि दूसरा हस्सा राज्यों को देना होता है। दूसरे शब्दों में, केंद्र योजनाओं का प्रस्ताव करता है और राज्य उन्हें लागू करते हैं, साथ ही राज्यों के वित्तीय संसाधनों की प्रतबिधता भी तय की जाती है।
- वर्ष 2015-16 से 2023-24 के बीच 59 CSS के माध्यम से CSS के लिये आवंटन 2.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।
 - इस प्रकार, केंद्र सरकार राज्य को कमोबेश उतनी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन देने के लिये बाध्य करती है।

■ समृद्ध बनाम कम समृद्ध राज्यों से जुड़े मुद्दे:

- CSS की साझीदारीपूर्ण योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्य अकेले राज्य बजट से समान वित्त देने का जोखिम उठा सकते हैं, वे समान स्तर के अनुदान का लाभ भी उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य इक्विटी के संदर्भ में दो अलग-अलग प्रभाव पैदा करता है।
 - समृद्ध राज्य CSS के कार्यान्वयन के माध्यम से समान वित्त देने और केंद्रीय वित्त का लाभ उठाने का जोखिम उठा सकते हैं।
 - कम समृद्ध राज्यों को इन CSS के लिये अपने उधार लिये हुए वित्त देने होंगे, जिससे उनकी अपनी देनदारियाँ बढ़ जाएँगी। राज्यों के सार्वजनिक वित्त के ये अलग-अलग प्रक्षेपपथ सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य असमानता को बढ़ाते हैं, जिसका प्रमुख कारण CSS है।

■ संघ सरकार के पास सीमिति व्यय उत्तरदायित्वों के साथ बड़ी वित्तीय शक्तियाँ:

- सांघिक अनुदान के साथ, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में कुल वित्तीय हस्तांतरण वर्ष 2023-24 में केवल 47.9% था।
- सकल कर राजस्व का 50% से अधिक अपने पास बनाए रखने के अलावा, केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% की सीमा तक राजकोषीय घाटा उठाती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार के पास सीमिति व्यय उत्तरदायित्वों के साथ वृहत वित्तीय शक्तियाँ मौजूद हैं।



वित्त का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

- नषिकर्षः**

अभ्यास प्रश्न: भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को होने वाले कम वित्तीय हस्तांतरण के, राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए इसके नहितार्थों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित मदों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरा हुआ अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामगरी यकत समाचार पतर

उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से GST (वस्तु और सेवा कर) के अंतर्गत छूट पराप्त है/हैं?

(a) केवल 1

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' को लागू करने के सबसे संभावित लाभ क्या हैं/हैं? (2017)

1. यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किये गए वभिन्न करों की जगह लेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटा' को काफी कम कर देगा और इसे अपने वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा एवं नकिट भवषिय में इसे चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। (2017)

- (a) संघवाद
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- (c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

प्र. नमिनलखिति में से कौन-सी भारतीय संघवाद की वशिषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- (b) शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से वभिजति कया गया है।
- (c) संघ की इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दया गया है।
- (d) यह संघबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परणाम है।

उत्तर: (a)